प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 05 सितम्बर, 2016**

विषयः- भूमि सेना योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू.सं.-लेखा/भूमि सेना/वित्तीय स्वीकृति/2016-17/170डी, दिनांक 01.8.2016 एवं पत्रांक-भू.सं.लेखा/उ.प्र.प./2016-17/175डी, दिनांक 03.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि सेना योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु रू0-413630 हजार (रू0 इक्तालिस करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र.स.	मानक मद	वर्ष **2016-17** के बजट में प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	04-यात्रा व्यय	1575	788
2	08-कार्यालय व्यय	1180	590
3	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1180	590
4	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3150	1575
5	42-अन्य व्यय	819385	409692
6	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	0
7	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	790	395
	योग	**827260**	**413630**

(रू0 इक्तालिस करोड़ छत्तीस लाख तीस हजार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-162/12-3-2014-100(25)/2012, दिनांक 31.1.2014 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार अनुमोदित कार्यो/मदों पर/कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। दूसरी किश्त का आहरण प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त किया जायेगा। योजना में शासनादेश संख्या-3454/12-3-2012-100(25)/2012, दिनांक 02.01.2013 द्वारा निर्धारित फण्डफ्लो मैकेनिज्म तथा अन्य शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। भूमि संरक्षण इकाइयों को धनराशि जनपदवार निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य तथा इकाइयों की शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए ही आवंटित की जाय।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी शासकीय धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी। यदि ऐसा कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी- 1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/ 2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए-1-285/ दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यो से संबंधित स्वीकृत धनराशि जनपदवार निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप संबंधित भूमि संरक्षण इकाइयों को उनकी निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ही आवंटित की जाय।

8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय, जिन लाभार्थियों के खेतों में भूमि एवं जल संरक्षण की संरचनायें निर्मित की जांय, उन खेतों के खसरा नम्बर आदि का उल्लेख अवश्य किया जाय।

9- प्रश्नगत योजना हेतु शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपयोग में लाई गई धनराशि रू0 114.1915 करोड़ के सापेक्ष परियोजना के विशिष्टीकृत, मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति तथा Outbased Performance Assessment की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के "लेखाशीर्षक- 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-103-भूमि सुधार तथा विकास-07-भूमि सेना योजना" के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 द्वारा प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-79/2016/1108(1)/12-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- अपर कृषि निदेशक (भू.सं.), कृषि भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालाय, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन पत्र की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (बाढ़ोन्मुखी/राष्ट्रीय जलागम) कृषि भवन, लखनऊ।
8- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
9- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।